न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी : राजकुमार कस्वा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 : 118/2018

अनवान :

1. बनारसी
2. जैतून बानो
3. जमीला बानो

} पुत्रियां ताजू खां जाति कायमखानी निवासी वार्ड नं0 6 भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)

– प्रार्थीयागण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिऐ तहसीलदार राजस्व भादरा।

– अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत नाम दुरूस्त करने जमाबन्दी अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट

उपस्थिति : वकील श्री रोहताश सहारण **: प्रार्थीयागण**

पेरोकार राज **: अप्रार्थी**

निर्णय **दिनांक :** 9.1.18

संक्षेप में प्रार्थना के तथ्य इस प्रकार है कि भादरा खास की जमाबन्दी सम्वत् 2074–73 के खाता सं0 22/24 के खसरा सं0 86 की 0.898 है0, बारानी खातेदारी भूमि में तखु खां पुत्र ईस्माईल खां नाम दर्ज है।

प्रार्थी के पिता तखु खां व ईस्माईल खां व प्रार्थीगण की माता नजीमन पत्नी ताजू खां का देहान्त हो चुका है। ताजू खां के हक पर अब प्रार्थीगण ही उनकी जायज व कानूनी वारिसान मौजूद है। प्रार्थीगण के अलावा अन्य कोई जायज व कानूनी वारिसान मौजूद नहीं है।

प्रार्थीगण के पिता का नाम तालु खां पुत्र ईस्माईल खां वास्तविक व सही नाम दर्ज है। जमाबन्दी 2043 में तत्कालीन खाता सं0 13/48 में प्रार्थीगण के पिता का नाम तालू खां पुत्र ईस्माईल खां सही दर्ज है। इसके बाद में जब सम्वत् 2046 में जमाबन्दी बनी तो लिपिकिय भूल वश खाता सं0 12/13 में प्रार्थी के पिता का नाम ताजू खां की बजाय तखु खां दर्ज हो गया। उक्त नाम लिपिकिय भूलवश दर्ज हुआ है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2022.11.07 13:08:32 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीगण के पिता का 03.11.1992 को देहान्त हो चुका है। प्रार्थीगण के पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र में भी ताजू खां नाम दर्ज है। प्रार्थीगण की माता नजीमन बानो की 1985 में मृत्यु हुई उसमें भी पति का नाम ताजू खां दर्ज है। सभी जगह उनका नाम ताजू खां दर्ज था। पटवारी ने भी लिपिकिय भूलवश उक्त नाम ताजू खां की बजाय तखु खां सम्वत् 2046 की जमाबन्दी बनाते समय दर्ज कर दिया है। अब प्रार्थीगण विरासतन नामान्तरण दर्ज करवाने हेतु पटवारी के पास गई तब प्रार्थीगण को उक्त नाम गलत होने का ज्ञान हुआ। इससे पहले प्रार्थीगण को उक्त नाम गलत दर्ज होने का ज्ञान नहीं था।

उपखण्ड अधिकारी (भादरा) भादरा जिला-हनुमानगढ़

प्रार्थीगण उक्त तथ्य की जानकारी होते ही राजस्व रिकार्ड की नकलें ली तो सारी स्थिति का पता चला तथा बिना देरीना किए नाम दुरूस्ती हेतु आवेदन पेश कर रही है। प्रार्थीगण अपने पिता का नाम मौजूद जमाबंदी में दर्ज तखु खां पुत्र ईस्माईल खां की बजाय ताजू खां पुत्र इस्माईल खां दुरूस्त करवाने के अधिकारी है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। नोटिस तामील होने के उपरान्त अप्रार्थी पेरोकार राज ने जबाब प्रार्थना पत्र पेश किया।

प्रार्थीयागण ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में चित्रप्रति प्रमाणित जमाबन्दी ग्राम भादराखास के खाता सं0 22/24 सम्वत् 2074–77, फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी खतौनी ग्राम भादराखास सम्वत् 2043 व 2046, चित्रप्रति मृत्यु प्रमाण पत्र ताजु खां, चित्रप्रति मृत्यु प्रमाण पत्र नजीमन बानो, नगरपालिका पार्षद वार्ड नं0 7 द्वारा जारी प्रमाण पत्र पेश किये।

बहस सुनी गई।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थियागण ने भादराखास के खाता सं0 22/24 राजस्व रिकार्ड में अपने पिता का नाम दुरूस्त करवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थियागण ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में जो पुराना राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी खतौनी भादराखास सम्वत् 2043 प्रस्तुत

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2022.11.07 13:08:32 IST
Reason: SelfAttested